रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 1995/पौष 16, 1916
No. 17] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 1995/PAUSA 16, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1995

आय-कर

का.आ. 17(अ)—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (प्रथम संशोधन) नियम, 1995 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 17ग में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(iii) निवास-स्थान की आवश्यकता के संबंध में जायेदाद करने और उसे पूरा करने के प्रयोजन के लिये या नगरों, शहरों और ग्रामों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिये या दोनों के लिये अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित किसी प्राधिकरण के पास किये गये निक्षेप।"

[सं. 9684/फा.सं. 133/114/94—टी.पी.एल.]

सुनील चोपड़ा, निदेशक (टी.पी.एल.-III)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 1995

INCOME-TAX

S.O. 17(E).—In erercise of powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (First Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 17C, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iii) deposits made with an authority constituted in India by or under any law enacted either for the purpose of dealing with and satisfying the need for housing accommodation or for the purpose of planning, development or improvement of cities, towns and villages, or for both."

[No. 9684/F. No. 133/114/94-TPL]

SUNIL CHOPRA, Director (TPL-III)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995